प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक:-28.07.2021

थाना कलवारी पुलिस एवं एंटी व्हीकल थेफ्ट की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गोसैसीपुर में हुए हत्याकाण्ड से सम्बंधित अभियुक्त को एक अदद तमंचा 12 बोर के साथ पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री आलोक प्रसाद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कलवारी श्री अरविंद कुमार शाही मय पुलिस बल व प्रभारी निरीक्षक एंटी व्हीकल थेफ्ट श्री गजेंद्र सिंह मय टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा दिनांक-27.07.2021 को ग्राम गोसैसीपुर थाना कलवारी अंतर्गत हुई महिला के हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 142/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 323 IPC से सम्बंधित अभियुक्त **1.** दयाराम उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम गोसैसीपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती को आज दिनांक-28.07.2021 को समय करीब 03:00 बजे चमनगंज चरकेला मार्ग पर ग्राम मिश्रौलिया व बेनीगंज के बीच पुलिस मुठभेड़ में एक अदद तमंचा 12 बोर, दो अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया |

जिसके सम्बन्ध में थाना कलवारी जनपद बस्ती पर अभियुक्त दयाराम उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव के विरुद्ध मु0अ0सं0143/2021 धारा 307, 504 तथा मु0अ0सं0 144/2021 धारा 3/25 Arms Act, 3/27 Arms Act पंजीकृत किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दयाराम उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम गोसैसीपुर थाना कलवारी जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर |

2. दो अदद ज़िंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-27.07.2021 को रामसरन पुत्र राम लौट निवासी ग्राम चरकैला पोस्ट डेल्हवा थाना कलवारी द्वारा थाना कलवारी जनपद बस्ती पर लिखित तहरीर दिया कि उसकी पत्नी कुशलावती तीन बहनें हैं, जिनके बीच मेरे ससुर द्वारा ज़मीन का बैनामा कर दिया है | केवल घर की ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था कि दिनांक-26.07.2021 को मेरी पत्नी, बेटा अंगद व पत्नी की बहन इशलावती अपने मायके ग्राम गोसैसीपुर गए थे जहाँ रात्रि में सोते समय लगभग 11:30 बजे अभियुक्त दयाराम उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव व अन्य लोगों ने मिलकर मेरी पत्नी, बेटे व पत्नी की बहन पर हमला कर दिया जिससे इलाज के दौरान मेरी पत्नी कि मृत्यु हो गई एवं मेरे बेटे अंगद व पत्नी की बहन का इलाज सदर अस्पताल बस्ती में चल रहा है |

जिसके आधार पर थाना कलवारी जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 142/2021 धारा 147, 148, 149, 302, 323 IPC पंजीकृत किया गया |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त दयाराम उर्फ मोनू पुत्र रामफेर यादव ने बताया कि मैंने व मेरे भाई ने मिलकर अपनी मौसी कुशलावती को कुल्हाड़ी से जान से मार दिया एवं अंगद व मौसी इशलावती को घायल कर दिए थे | हम लोगों ने मौसी को मारने के लिए तमंचे का उपयोग इसलिए नहीं किये क्योंकि हमें डर था कि फायर की आवाज़ से गाँव के लोग इकट्ठा हो जायेंगे | मैंने तमंचा व कारतूस अपनी सुरक्षा हेतु रखा था कि यदि कोई पकड़ेगा तो फायर करके भाग जाउंगा और आज मै बाहर भागने के लिए गाड़ी पकड़ने जा रहा था कि आप पुलिस के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कलवारी श्री अरविंद कुमार शाही जनपद बस्ती |
2. प्रभारी एंटी व्हीकल थेफ्ट उ0नि0 श्री गजेंद्र सिंह जनपद बस्ती |
3. उ0नि0 संतोष कुमार थाना कलवारी जनपद बस्ती |
4. हे0का0 कृष्ण कुमार पाण्डेय, हे0का0 चन्द्रकेश यादव, हे0का0 राम अचल गौतम, हे0का0 गोपाल यादव, हे0का0 अवनीश प्रताप सिंह, का0 हेमंत पासवान थाना कलवारी जनपद बस्ती |
5. हे0का0 आदित्य पाण्डेय, हे0का0 राम सुरेश यादव, हे0का0 राकेश कुमार, हे0का0 अभय कुमार दुबे, का0 महेंद्र यादव एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम जनपद बस्ती |